मु॰ नं॰ 02/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नरसी राम बनाम रामचन्द
8/5/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र 251 A व मौका रिपोर्ट तहसीलदार प्रस्तुत हुई। उभय पक्षकारान की बहस प्रा. पत्र 251 A व मौका रिपोर्ट तहसीलदार, बसवा सुनी गयी पत्रावली वास्ते निर्णय आ. तारीख 22-5-24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)
22/5/24	पत्रावली पेश हुई। निर्णय प्रा. पत्र 251 A पृथक से लिखा जाकर उभय पक्षकारान को सुनाया गया, प्रा. पत्र 251 A स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बसवा को पाबन्द किया जाता है कि स्पष्ट निर्णय की तामील करानी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)
3/06/2024	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार बसवा जरिये पत्र क्रमांक/भू.अ./संस्था/2024/76 दिनांक 03-6-2024 के द्वारा न्यायालय हाजा को इस आशय का पत्र भिजवाया है कि इस प्रकरण नरसी वगैरह बनाम रामचंद वगैरह में दिनांक 22-05-2024 को जारी किये गये निर्णय में निर्णय के उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:07:01 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बसवा

(तहसील–बसवा) जिला–दौसा, राजस्थान

उनवान प्रकरण नारसीराम बनाम जयचन्द

किस्म मुकदमा 251-अ नंबर 02 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अंतिम पृष्ठ पर कुल भूमि 768 वर्गमीटर अंकित कर दी है, जबकि इसु अंतिम निर्णय में ग्राम-भोपा की ढाणी तह० बसवा के ख०न० 1091 रकबा 0.26है० में से 128 वर्गमीटर भूमि को विलोपित कर दिया है, अतः अंतिम निर्णय में कुल भूमि 768 वर्गमीटर में से 128 वर्गमीटर भूमि कम करते हुए मात्र 640 वर्गमीटर भूमि अंकित की जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त दशा में तहसीलदार बसवा से प्राप्त पत्र स्वीकार किया जाता है एवं निर्णय दिनांक 22-05-2024 के अंतिम पृष्ठ में सहवन से अंकित 768 वर्गमीटर भूमि को संशोधित करते हुए, 768 वर्गमीटर के स्थान पर 640 वर्गमीटर भूमि किया जाता है। अतः इस प्रकार वर्णित भूमि 768 वर्गमीटर के स्थान पर 640 वर्गमीटर भूमि अंतिम निर्णय दिनांक 22-05-2024 पढ़ा जावे। पत्रावली फूर्वानुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:07:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला—दौसा

प्रकरण संख्या :— 2/2022 विविध
प्रकरण रज्जु दिनांकः— 14.11.2022
निर्णय दिनांक :— 22.5.2024

प्रकरण का उनवान

1. नरसी राम पुत्र श्योदान
2. गीला राम पुत्र श्योदान
3. जयना देवी उर्फ जानकी देवी पत्नी श्योदान
4. रामसुखा पुत्र श्योदान

समस्त जाति मीना निवासी भोपान की ढाणी बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. जयचंद पुत्र रामकिशन
2. नारायण लाल पुत्र रामकिशन
3. हुकम चंद पुत्र रामकिशन
4. उगन्ती पत्नी स्वर्गीय जीत्या
5. चिंरजी पुत्र लाला राम
6. लक्ष्मी नारायण पुत्र जीत्या
7. भगवान सहाय पुत्र जंगली
8. रामकिशन पुत्र जंगली
9. हरिकिशन पुत्र जंगली

समस्त जाति मीना, निवासी भोपान की ढाणी, तहसील—वसवा

(अप्रार्थीगण)

10. अनोखी देवी पत्नी नरसी
11. अमर सिंह पुत्र कल्याण सहाय
12. कमली पत्नी कल्याण सहाय
13. गीता देवी पत्नी गोपी
14. तेजा पुत्र भगवान्या
15. भौती देवी पत्नी मूलचंद
16. राजू पुत्री कल्याण सहाय
17. रामपति पत्नी हीरालाल
18. रामोतार पुत्र कल्याण सहाय
19. लक्ष्मी देवी पत्नी रामस्वरूप
20. लच्छी देवी पत्नी कैलाश
21. पूरण पुत्र बीरबल
22. छोटेलाल पुत्र बीरबल
23. बुद्धा पुत्र बीरबल

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:07:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

24. रामखिलारी पुत्र मांग्या
25. रमकी पत्नी मांग्या
26. लहरी पुत्र पन्ना
27. कालू पत्नी पन्ना
समस्त जाति मीना, निवासी भोपान की ढाणी, तहसील–बसवा
28. यूको बैंक शाखा बसवा जरिये व्यवस्थापक।
29. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बांदीकुई जरिये व्यवस्थापक।
30. पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजपुर उपाध्याय निवास जरिये व्यवस्थापक
31. राजस्थान मरूथरा ग्रामीण बैंक शाखा बसवा जरिये व्यवस्थापक
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बसवा जिला–दौसा

(तरतीबी अप्रार्थीगण)

:: प्रा.पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधि.1955 के तहत निर्णय :–

दिनांक :– 22.5.2024

उपस्थिति :–1.प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री अमरसिंह गुर्जर

2. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व 6 की ओर से एडवोकेट श्री ऋषिराज शर्मा

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत र्थना पत्र पेश किया कि ग्राम भोपान की ढाणी सिथत खाता संख्या नया 330 पुराना 25 आराजी ासरा नंबर 10283/1081 रकबा 0.57 हैक्टयर, 1035 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नंबर 1036 रकबा 0. 9 हैक्टयर, खसरा नंबर 1037 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नंबर 1080 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा ंबर 1091 रकबा 0.26 हैक्टयर, खसरा नंबर 1092 रकबा 0.24 हैक्टयर, खसरा नंबर 1093 रकबा 0.59 ़क्टयर कुल किता 08 कुल रकबा 2.45 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 10 लगायत 27 क़ाबिज काश्त खातेदार हैं । जबकि ग्राम भोपान की ढाणी के ही खाता संख्या नया 73 पुराना 72 खसरा नंबर 1010 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नंबर 1011 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नंबर 1012 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नंबर 10147/1019 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नंबर 10148/1020 रकबा 0.17 हैक्टयर, 1017 रकबा 0.32 हैक्टयर, खसरा नंबर 1021 रकबा 0.68 हैक्टयर कुल किता 07 कुल रकबा 1.86 हैक्टयर के खातेदार अप्रार्थीगण 01 लगायत 09 खातेदार काश्तकार हैं । प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जिसे पैरा नंबर 1 में वर्णित भूमि में खसरा नंबर 1092 में प्रार्थीगण नरसी व रामसुखा, गीलाराम के मकानात बने हुंए हैं तथा रिहायश का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा अपने रिकायश मकान व अपने खेतों में आने जाने के लिये मौके पर 12 फीट चौडा रास्ता जो नजरी नक्शे में ए.बी.सी.डी. बरंग सुर्ख से दर्शित है । जो रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 1091 में होकर, अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 के खेत खसरा नंबर 10147/1019, 1048/1020, 1021 में होकर 12 फीट चौडा रास्ता मौके पर है, जो रास्ता विजयसागर बांध के लगते हुए, ग्रेवल सडक जो खसरा नंबर 1022, 1023 में होकर आम रास्ता है, जिसपर प्रार्थीगण अपनी भूमि पर मौके पर आते जाते रहे हैं । उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेतों में आने–जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है । प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नंबर 1092, 1091 व मकानात में आने जाने के लिये खसरा नंबर 10147/1019, 1048/1020, 1021 में बरंग सुर्ख ए.बी.सी.डी. के अलावा कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है । प्रार्थीगण खसरा नंबर 10147/1019, 10148/1020, 1021 में होकर ही अपनी रिहायश एवं काश्त के लिये ट्रेक्टर ट्रॉली एवं अन्य कृषि उपयोग में आने वाले साधनों को लाते ले जाते हैं । प्रार्थीगण के पास अपने काश्त की आराजियात खसरा नंबर 1091, 1092 में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है । रिकोर्डेड रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण को खेती काश्त के समय भारी असुविधा का सामना करना पडता है । उपरोक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आवश्यकता है । उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीगण को काश्त के समय परेशानी उठानी पडती है और फसलों व चारे वगैरह को लाने ले जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पडता है । उक्त रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी भूमि में आने जाने से महरूम हो जावेंगे । इस कारण प्रार्थीगण को खसरा नंबर 1091, 1092 में आने जाने के

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:07:01 IST
Reason: SelfAttested

लिये अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 10147/1019, 10148/1020, 1021 में बरंग सुर्ख ए.वी.सी.डी. के अनुसार आगे ग्रेवल सडक, जो बसवा से जोनवाल की ढाणी वाले रास्ते से लगता हुआ 12 फीट चौडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित है । प्रार्थी द्वारा यह कथन भी उनके प्रा.पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि के साबिक नक्शा संवत् 2003 में भी प्रार्थीगण के खेतों के लिये अप्रार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता बजमाने बुजुर्गान से बना हुआ है जिसका अंकन साबिक जमाबंदी व साबिक नक्शा में वारानी डोल का इन्द्राज हो रहा है । जिसमें प्रार्थीगण के खेतों के लिये अप्रार्थीगण के खेतों के मध्य में होकर, डोल बना हुआ था, जिसको प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा सहमति से उक्त डोल को समाप्त कर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 के खेत बरंग सुर्ख ए.वी.सी.डी. में होकर रास्ता चालू है । किंतु राजस्व अभिलेख में रास्ते का इन्द्राज नहीं होने की आड में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 प्रार्थीगण के आवागमन में बरंग सुर्ख ए.वी.सी.डी. रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करते हैं । तथा उक्त रास्ते को बंद करने पर आमादा हैं । राजस्थान सरकार द्वारा काश्तकारों को रास्ता विहिन जोतों तक पहुँचने के लिये राजकीय भूमियों में से रास्ता दिये जाने के लिये, राजस्व ग्रुप-6 विभाग के परिपत्र कमांक प.3(52) राजस्थान/6/12/4 दिनांक 14.6.2013 को दिशा निर्देश भी जारी किये हैं । प्रार्थीगण आराजी खसरा नंबर 10147/1019, 10148/1020, 1021 में से रास्ता के रूप में दी जाने वाली भूमि की एवज में श्रीमान् के आदेशानुसार प्रतिकर राशि जमा कराने को भी तैयार है । अप्रार्थीगण संख्या 10 लगायत 27 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में सहखातेदार होने से पक्षकार मुकदमा तरतीबी अप्रार्थीगण बनाये गये हैं । इनके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा है । अतः प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर, प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 के खेत 10147/1019, 10148/1020, 1021 में से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 1091 व 1092 में आने जाने के लिये 12 फीट चौडा रास्ता, जो नजरी नक्शा बरंग सुर्ख ए.बी.सी.डी. से दर्शित है, में रास्ता देने के लिये आदेश फरमाने की कृपा करें ।

प्रस्तुत प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी करके, उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया ।

प्रेषित नोटिसों की अनुपालना में दिनांक 5.12.2022 को अप्रार्थी संख्या 5, 7 लगायत 29, 30 लगायत 32 बाद तामील अनुपसिथत रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । पश्चातवर्ती तारीख पेशी दिनांक 11.1.2023 को अप्रार्थी संख्या 8 रामकिशन द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने का प्रा.पत्र पेश किया, जिसे स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी संख्या 8 को सेट असाइड किया गया ।

अपार्थी संख्या 1 से 4 एवं 6 की ओर से एडवोकेट श्री ऋषिराज शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 6 की ओर से जवाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 1 मुताबिक राजस्व रिकोर्ड स्वीकार है एवं बिन्दु संख्या 2 स्वीकार है । बिन्दु संख्या 3 के कम में जवाब में अंकित की तहरीर अंकितानुसार स्वीकार नहीं है । नजरी नक्शे में दर्शित रास्ता ए.बी.सी.डी. 12 फुट चौडा कभी भी नहीं रहा है । ना ही मौके पर पूर्व में ना ही वर्तमान में कभी भी प्रार्थीगण का रास्ता नहीं रहा है । और ना ही उक्त दर्शित मार्ग को आवागमन के रूप में प्रार्थीगण उपयोग एवं उपभोग करते रहे हैं । बल्कि प्रार्थीगण की रिहायश एवं काश्त की भूमि पर आने जाने के लिये, गै.मु.पाल से खसरा नंबर 1030, 1031, 1081 में से सी.सी.रोड मौके पर निकला हुआ है । इसका इन्द्राज वर्तमान नक्शा सीट में दर्ज है । उक्त रास्ते के पश्चात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 27 की शामलाती कृषिभूमि एवं रिहायश सिथत है । उक्त रास्ते के पश्चात प्रार्थीगण अपनी आराजी भूमि का ही रास्ते के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं । बिन्दु संख्या 4 बाबत जवाब में अंकन किया है कि यह बिन्दु जिस प्रकार तहरीर किया है स्वीकार नहीं है । प्रार्थीगण द्वारा दर्शित नक्शा ए.बी.सी.डी. का उपयोग रास्ते के रूप में करने का कथन बेबुनियाद व असत्य है । प्रार्थीगण की काश्त एवं रिहायश पर खसरा नंबर 1030, 1031, 1081 में होकर मौके पर सीसी रोड निर्मित है उक्त रोड के पश्चात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 10 लगायत 27 की शामलाती काश्त भूमि [illegible] त स्थित है । उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण उक्त रास्ते का ही आवागमन आने जाने के [illegible] आ रहे हैं । इसके अलावा प्रार्थीगण अपनी काश्त रिहायश [illegible] रिकोर्डेड रास्ता जो अलवर-गंगापुर मेघा हाइवे, बांदीकुई रोड पर स्थित पावर ग्रेड बसवा से पश्चिम दिशा की ओर भागल्या बाबा की ढाणी तक आने जाने वाले रोड का इस्तेमाल भी आने जाने के रास्ते के रूप में करते रहे हैं । ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण द्वारा नवीन रास्ता सृजित का कोई विधिक औचित्य दर्शित नहीं होता है । प्रार्थीगण की रास्ता संबंधी आवश्यकता अनुचित है । बिन्दु संख्या 5 भी अस्वीकार है, प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकोर्ड के विरूद्ध जाकर अपनी इच्छानुसार कथन किये गये हैं । गै.मु.डोल का इन्द्राज राजस्व रिकोर्ड में रहा है परंतु मौके पर कोई भी गै.मु.डोल नहीं है । उपरोक्त भूमि में वर्तमान में सरसों चना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:17:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

वगैरह की सरसब्ज फसल उगी हुई है जिसमें से होकर पैदल आना जाना भी मुश्किल है, चारों ओर मि.न. अप्रार्थीगण ने अपनी काश्त भूमि के कंटीले तारों एवं ढाकरों से फेंसिंग की हुई है । जब नजरी नक्शे में दर्शित एबीसीडी बिन्दु पर मौके पर कभी रास्ता रहा ही नहीं तो, व्यवधान उत्पन्न करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है । बिन्दु संख्या 6 में अंकित है कि बिन्दु कानूनी है, राजस्व परिपत्र क्रमांक 3/52 राजस्थान में उल्लेखित किया गया है कि किसी काश्तकार को, अपनी काश्त एवं रिहायश में आने जाने के लिये मौके पर कोई रिकोर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है । उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की काश्त व रिहायश पर आने जाने के लिये मौके पर 2-2 रिकोर्डेड रास्ते उपलब्ध है । नवीन रास्ते में आवश्यकता के बिन्दु महत्त्वपूर्ण होते हैं, न की सुविधा प्रार्थीगण के समक्ष ऐसी कोई रास्ता संबंधी परेशानी नहीं रही है ।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 6 के द्वारा प्रस्तुत जवाब में विशेष कथन में अंकन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 10 लगायत 27 की शामलाती कृषि भूमि एवं रिहायश हेतु गै.मु.पाल से दक्षिण दिशा की ओर खसरा नंबर 1030, 1031, 1081 तथा मौके पर सी.सी.रोड बना हुआ है । उक्त रास्ते के पश्चात, प्रार्थीगण की शामलाती कृषि भूमि स्थित है जिससे प्रत्येक खातेदार अपने खेत एवं रिहायश पर आता जाता रहा है । इसके अलावा प्रार्थीगण की काश्त के दक्षिण दिशा की ओर अलवर-गंगापुर मेगा हाइवे बांदीकुई रोड पर पावर ग्रिड बसवा से पश्चिम दिशा की ओर मागल्या बाबा की ढाणी तक जाने के लिये रिकोर्डेड ग्रेवल सडक बनी हुई है । उक्त रास्ते का इस्तेमाल प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान करते रहे हैं । उपरोक्त दोनों रास्तों का इन्द्राज वर्तमान नक्शा सीट में दर्ज है । नकल नक्शा सीट जवाब के साथ पेश है । प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 10147/1019, 10148/1020, 1021 की भूमि का उपयोग कभी भी रास्ते के रूप में नही किया है उक्त भूमि कभी भी रिकोर्ड में गै.मु. रास्ता भूमि दर्ज नहीं रही है । रिकोर्ड में गै.मु.डोल भूमि दर्ज रही है । परंतु मौके पर कोई डोल भूमि नहीं है । प्रार्थीगण ने अपनी काश्त भूमि के चारों ओर कंटीले डाकरे तार लगाकर फेंसिंग की हुई है । मौके पर चना व सरसों की सरसब्ज फसल उगी हुई है । उपरोक्त खसरा नंबरान की भूमि का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के सहखातेदारान ने रास्ते भूमि के रूप में उपयोग नहीं किया है । ना ही रास्ते के कोई निशान मौके पर नहीं हैं । अतः प्रा.पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे ।

नोटिस की पालना में अप्रार्थी संख्या 8 स्वयं रामकिशन की ओर से जवाब प्रस्तुत करके, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र के बिन्दुओं को स्वीकार किया, साथ ही यह भी अंकित किया कि यदि प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा करवा देते हैं तो प्रा.पत्र में अंकित रास्ता देने से कोई ऐतराज नहीं है । अप्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र में दर्शाये गये रास्ते एबीसीडी में रास्ता शुरू से ही चालू है एवं बंद नहीं किया गया है ।

प्रस्तुत प्रा.पत्र धारा 251 के क्रम में दिनांक 11.1.2023 को तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तहरीर जारी करते हुए, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।

तहसीलदार बसवा मय गिरदावर बसवा व पटवारी हलका बसवा ए द्वारा दिनांक 7.2.2023 को मौका जांच की गई । मौका जांच रिपोर्ट निम्नवत् पेश की गई :-

1. वादी का मकान खसरा नंबर 1092 में बना हुआ है जो खातेदारी में दर्ज है ।
2. यह है कि खसरा नंबर 1019, 1020 में चना की फसल है व पश्चिमी मेड़ के सहारे मौके पर 14 फुट खाली भूमि है जिसमे कोई फसल नहीं है ।
3. यह है कि खसरा नंबर 1021 में चने की फसल बो रखी है व तारबंदी कर रखी है, वादी को आने जाने के लिये खसरा नंबर 1021, 10147/1019, 10148/1020, 1091 में होकर रास्ता दिया जाता है तो सबसे कम दूरी का रहेगा, इसके अलावा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रास्ता वादी के लिये नहीं है ।

क्र. सं.	ख.नं.	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ता का [illegible]		शेष रकबा का रकबा एवं किस्म	
1	1021	0.68 है.	चाही 2	304 वर्ग [illegible]	[illegible] 2	0.6496 है.	बा ए
2	10148/1020	0.17 है.	बा[illegible]	192 [illegible]	[illegible]	0.1508 है.	बा ए
3	10147/1019	0.16 है.	चाही 2	144 [illegible]	चाही 2	0.1456 है.	चा.2
4	1091	0.26 है.	बा ए	128 वर्ग मी[illegible]	बा ए	0.2472	बा ए
		1.27 है.		768 वर्ग मीटर		1.1932 है.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:07:01 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार प्रसतावित रास्ते का नक्शा ट्रेस नक्शा रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

उक्तानुसार रिपोर्ट तहसीलदार बसवा द्वारा न्यायालय हाजा में पेश की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के कम में, अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 6 के द्वारा यह आपत्ति पेश की कि तहसीलदार बसवा की रिपोर्ट विधि व तथ्यों के विरूद्ध होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है, तहसीलदार बसवा द्वारा मौका निरीक्षण से पूर्व अप्रार्थीगण को कोई उचित विधिक सूचना प्रेषित नहीं की गई है । तहसीलदार बसवा द्वारा प्रार्थीगण को एकतरफा लाभ पहुँचाने के उद्धेश्य से पेश की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । प्रार्थीगण ने मूल प्रा.पत्र के जवाब एवं आपत्ति में स्पष्ट कथन दर्ज किया है कि चाहे गये रास्ते के समानान्तर पूर्व से ही सीसी रोड निर्मित है, जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 27 की शामलाती भूमि पर जाता है । इसके अलावा प्रार्थीगण की काश्त एवं रिहायश के दक्षिण दिशा की ओर बरावा पावर ग्रिड से भागला बाबा की ढाणी तक ग्रेवल रोड है । उक्त दोनों वैकल्पिक मार्ग से प्रार्थीगण अपनी काश्त तक आते जाते रहे हैं एवं वर्तमान में भी उक्त दोनों वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं । चाहे गये रास्ते की तुलना में उक्त दोनों वैकल्पिक मार्ग की दूरी भी कम है । उक्त दोनों वैकल्पिक रास्तों का अवलोकन एवं निरीक्षण किया जाना आवश्यक है । प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 10147/1019, 10148/1020, 1021 की भूमि का उपयोग कभी भी रास्ते के रूप में नहीं किया है, इसी प्रकार पूर्व से 2 वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं । तहसीलदार बसवा ने मौका निरीक्षण से पूर्व प्रार्थिया को नोटिस नहीं दिये ना ही मौका रिपोर्ट पर प्रार्थीगण के हस्ताक्षर हैं इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मौका रिपोर्ट प्रिफेयर नहीं है ।

उक्त प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया कि पक्षकारान व उनके अधिवक्ता की मौजूदगी में अदालत हाजा द्वारा पक्षकारान को सूनकर मौके की सही व वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये थे । इसमें अदालत हाजा के आदेशानुसार तहसीलदार बसवा द्वारा पक्षकारान की मौजूदगी में दिनांक 7.2.2023 को मौका देखकर मौके पर ही मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है । इसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है । खसरा नंबर 10147/1019, 10148/1020, 1021 में होकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 1091, 1092 में होकर सदैव से आने जाने का करीब 12 फीट चौडा पडत डोल आवागमन हेतु रहा है । तथा विपक्षीगण अपने नाम खातेदारी की आड में रास्ते को बंद प्रार्थीगण का आवागमन हमेशा के लिये बंद करना चाहते हैं । प्रार्थीगण की भूमि व रिहायश खसरा नंबर 1091, 1092 में आवागमन हेतु सबसे छोटा व सुगम व एकमात्र रास्ता खसरा नंबर 10147/1019, 10148/1020, 1021 के अलावा कोई अन्य रासता नहीं है ना ही प्रार्थीगण की भूमि के लगते हुए कोई सीसी रोड है । प्रार्थना पत्र विपक्षी विधि व तथ्यों के विरूद्ध महज प्रकरण को देरीना करने की गरज से काल्पनिक आधारों पर प्रस्तुत किया है जो निरस्त करने योग्य है ।

हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी । वकील प्रार्थी श्री अमरसिंह गुर्जर द्वारा प्रा.पत्र धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रा.पत्र पेश किया है एवं तहसीलदार बसवा की मौका रिपोर्ट जो, तहसीलदार बसवा द्वारा न्यायालय पटल पर रखी है, उनमें अंकित तथ्यों को दोहराते हुए ... पक्ष रखा कि ग्राम भोपान की ढाणी स्थित खाता संख्या नया 330 पुराना ... किता 08 कुल रकबा 2.45 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 10 ... खातेदार हैं । एवं भोपान की ढाणी के ही खाता संख्या ... कुल किता 07 कुल रकबा 1.86 हैक्टयर के खातेदार अप्रार्थीगण 01 लगायत 09 खातेदार काश्तकार हैं । प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जिसे पैरा नंबर 1 में वर्णित भूमि में खसरा नबर 1092 में प्रार्थीगण नरसी व रामसुखा, गीलाराम के मकानात बने हुंए हैं तथा रिहायश का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा अपने रिहायश मकान व अपने खेतों में आने जाने के लिये मौके पर 12 फीट चौडा रास्ता जो नजरी नक्शे में ए.बी.सी.डी. बरंग सुर्ख से दर्शित है । जो रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:07:01 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 1091 में होकर, अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 के खेत खसरा नंबर 10147/1019, 10148/1020, 1021 में होकर 12 फीट चौडा रास्ता मौके पर है, जो रास्ता विजयसागर बांध के लगते हुए, ग्रेवल सडक जो खसरा नंबर 1022, 1023 में होकर आम रास्ता है, जिस पर प्रार्थीगण अपनी भूमि पर मौके पर आते जाते रहे हैं । प्रार्थीगण के पारा अपने काश्त की आराजियात खसरा नंबर 1091, 1092 में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है । रिकोर्डेड रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण को खेती काश्त के समय भारी असुविधा का सामना करना पडता है । इस कारण प्रार्थीगण को खसरा नंबर 1091, 1092 में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 10147/1019, 10148/1020, 1021 में बरंग सुर्ख ए.बी.सी.डी. के अनुसार आगे ग्रेवल सडक, जो बसवा से जोनवाल की ढाणी वाले रास्ते से लगता हुआ 12 फीट चौडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित है । प्रार्थीगण आराजी खसरा नंबर 10147/1019, 10148/1020, 1021 में से रास्ता के रूप में दी जाने वाली भूमि की एवज में श्रीमान् के आदेशानुसार प्रतिकर राशि जमा कराने को भी तैयार है । आपत्ति प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रार्थीगण वकील द्वारा अपनी बहस में यह तथ्य प्रकट किया कि अदालत हाजा के आदेशानुसार तहसीलदार बसवा द्वारा पक्षकारान की मौजूदगी में दिनांक 7.2.2023 को मौका देखकर मौके पर ही मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है । इसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है । खसरा नंबर 10147/1019, 10148/1020, 1021 में होकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 1091, 1092 में होकर सदैव से आने जाने का करीब 12 फीट चौडा पडत डोल आवागमन हेतु रहा है । तथा विपक्षीगण अपने नाम खातेदारी की आड में रास्ते को बंद प्रार्थीगण का आवागमन हमेशा के लिये बंद करना चाहते हैं । प्रार्थीगण की भूमि व रिहायश खसरा नंबर 1091, 1092 में आवागमन हेतु सबसे छोटा व सुगम व एकमात्र रास्ता खसरा नंबर 10147/1019, 10148/1020, 1021 के अलावा कोई अन्य रासता नहीं है ना ही प्रार्थीगण की भूमि के लगते हुए कोई सीसी रोड है । अतः प्रस्तुत प्रा.पत्र धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रश्नगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके, वर्णित खसरा नंबरान में से प्रार्थीगण को रास्ता प्रदान करने के आदेश दिये जावें ।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व 6 के अधिवक्ता श्री ऋषिराज शर्मा द्वारा प्रा. पत्र धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 में जो जवाब अप्रार्थीगण की ओर से पेश किया एवं तहसीलदार बसवा की मौका रिपोर्ट के विरूद्ध जो आपत्ति पेश की है, उनमें अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस अप्रार्थीगण 1 से 4 एवं 6 के समर्थन में उन्होने अपना पक्ष रखा कि नजरी नक्शे में दर्शित रास्ता ए.बी.सी.डी. 12 फुट चौडा कभी भी नहीं रहा है । ना ही मौके पर पूर्व में ना ही वर्तमान में कभी भी प्रार्थीगण का रास्ता नहीं रहा है । और ना ही उक्त दर्शित मार्ग को आवागमन के रूप में प्रार्थीगण उपयोग एवं उपभोग करते रहे हैं । बल्कि प्रार्थीगण की रिहायश एवं काश्त की भूमि पर आने जाने के लिये, गै.मु.पाल से खसरा नंबर 1030, 1031, 1081 में से सी.सी.रोड मौके पर निकला हुआ है । प्रार्थीगण द्वारा दर्शित नक्शा ए.बी.सी.डी. का उपयोग रास्ते के रूप में करने का कथन बेबुनियाद व असत्य है । प्रार्थीगण की काश्त एवं रिहायश पर खसरा नंबर 1030, 1031, 1081 में होकर मौके पर सीसी रोड निर्मित है । रोड के पश्चात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 10 लगायत 27 की शामलाती ... एवं मकानात स्थित है । उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण उक्त रास्ते ... के रूप में इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं । इसके अलावा प्रार्थीगण अपनी काश्त रिहायश के दक्षिण दिशा की ओर स्थित रिकोर्डेड रास्ता जो अलवर–गंगापुर मेघा हा... बांदीकुई रोड पर स्थित पावर ग्रेड बसवा से पश्चिम दिशा की ओर भागल्या बाबा की ढाणी तक आने जाने वाले रोड का इस्तेमाल भी आने जाने के रास्ते के रूप में करते रहे हैं । ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण द्वारा नवीन रास्ता सृजित का कोई विधिक औचित्य दर्शित नहीं होता है । प्रार्थीगण की रास्ता संबंधी आवश्यकता अनुचित है । गै.मु.डोल का इन्द्राज राजस्व रिकोर्ड में रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:07:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

परंतु मौके पर कोई भी गै.मु.डोल नहीं है । चारों ओर मिन. अप्रार्थीगण ने अपनी काश्त भूमि के कंटीले तारों एवं ढाकरों से फेंसिंग की हुई है । जब नजरी नक्शे में दर्शित एबीसीडी बिन्दु पर मौके पर कभी रास्ता रहा ही नहीं तो, व्यवधान उत्पन्न करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । बिन्दु संख्या 6 में अंकित है कि बिन्दु कानूनी है, राजस्व परिपत्र क्रमांक 3/52 राजस्थान में उल्लेखित किया गया है कि किसी काश्तकार को, अपनी काश्त एवं रिहायश में आने जाने के लिये मौके पर कोई रिकोर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है । उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की काश्त व रिहायश पर आने जाने के लिये मौके पर 2—2 रिकोर्डेड रास्ते उपलब्ध हैं । नवीन रास्ते में आवश्यकता के बिन्दु महत्वपूर्ण होते हैं, न की सुविधा प्रार्थीगण के समक्ष ऐसी कोई रास्ता संबंधी परेशानी नहीं रही है । प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 10147/1019, 10148/1020, 1021 की भूमि का उपयोग कभी भी रास्ते के रूप में नहीं किया है उक्त भूमि कभी भी रिकोर्ड में गै.मु.रास्ता भूमि दर्ज नहीं रही है । रिकोर्ड में गै.मु.डोल भूमि दर्ज रही है । परंतु मौके पर कोई डोल भूमि नहीं है । उपरोक्त खसरा नंबरान की भूमि का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के सहखातेदारान ने रास्ते भूमि के रूप में उपयोग नहीं किया है । ना ही रास्ते के कोई निशान मौके पर नहीं हैं । अतः प्रा. पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे । तहसीलदार बसवा की रिपोर्ट विधि व तथ्यों के विरूद्ध होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है, तहसीलदार बसवा द्वारा मौका निरीक्षण से पूर्व अप्रार्थीगण को कोई उचित विधिक सूचना प्रेषित नहीं की गई है । तहसीलदार बसवा द्वारा प्रार्थीगण को एकतरफा लाभ पहुँचाने के उद्धेश्य से पेश की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । प्रार्थीगण ने मूल प्रा.पत्र के जवाव एवं आपत्ति में स्पष्ट कथन दर्ज किया है कि चाहे गये प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 10147/1019, 10418/1020, 1021 की भूमि का उपयोग कभी भी रास्ते के रूप में नहीं किया है, लिहाजा प्रा.पत्र धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 पोषनीय नहीं होने से काबिले खारिज है जिसे मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे ।

हमने प्रस्तुत प्रा.पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया, साथ ही दोनों पक्षों के जवाब व आपत्तियां तहसीलदार बसवा की रिपोर्ट को भी मद्धेनजर रखा । प्रकरण में रास्ते की आवश्यकता हेतु प्रार्थीगण का प्रा.पत्र एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 एवं 6 का विरोध दोनों को मौका स्थिति के अवलोकन हेतु, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वयं खसरा नंबर 10147/1019, 10148/1020, 1021, 1091, 1092 एवं 1030, 1031, 1081 ग्राम भोपा की ढाणी का मौका देखने का विनिश्चय किया गया । ताकि प्रकरण की मौका स्थिति से स्वयं रूबरू हो सके । अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी नरसी वगैरह के खेत खसरा नंबर 1091 व 1092 के लिये 2 वैकल्पिक रास्तों का उल्लेख निरंतर बहस व जवाब मय आपत्तियों में किया गया है । अप्रार्थीगण द्वारा जो पहला रास्ता खसरा नंबर 1030, 1031, 1081 में होना बताया है, उसको बाद मौका स्थिति एवं मौके पर परिलक्षित दशा के अनुसार पाया गया कि एक उनवानी प्रकरण मूलचंद बनाम अशोक वगैरह में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा दिनांक 23.3.2021 के निर्णय के द्वारा ग्राम भोपा की ढाणी स्थित खसरा नंबर 1030, 1031, 1081 से वर्ष 2021 में ही रास्ता निकाला [illegible] स्थिति के अनुसार इस उनवानी प्रकरण मूलचंद बनाम अशोक वगैरह में प्रार्थी [illegible] मकान तक ही रास्ता जाता है, आगे कोई रास्ता नहीं जाता है, बल्कि [illegible] पक्का मकानात की तामीर की हुई है, मौके पर उपस्थित बुजु[illegible] विवेक से ही बताया कि प्रार्थी नरसी वगैरह के खेतों एवं रहवास के लिये, कभी भी इधर से रास्ता नहीं गया, यह रास्ता हमेशा से अप्रार्थीगण जयचंद वगैरह के खेतों से सीधा, प्रार्थीगण नरसी वगैरह के खेतों से जाता रहा है । अप्रार्थीगण द्वारा जो द्वितीय वैकल्पिक रास्ता होना उनके जवाब व आपत्तियों में अंकित किया है, मौका स्थिति पर अथवा रिकोर्ड पर ऐसा कोई द्वितीय वैकप्कि रास्ता नहीं पाया गया, इस संबंध में अप्रार्थगण द्वारा उनके जवाब एवं आपत्तियों में कहीं भी खसरा नंबरों का उल्लेख नहीं किया, तदोपरांत मौके पर भी इस तरह के रास्ते का अभाव होना, अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:07:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

व 6 द्वारा प्रार्थीगण के पास 2 वैकल्पिक रास्ते होने का कथन एवं बहस, दोनों ही बिन्दुओं को काबिले खारिज है ।

प्रकरण में एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम भोपा की ढाणी के खाता संख्या 195 खसरा नंबर 10146/1019 एवं 10149/1020 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 हैक्टयर भूमि में हिस्सा 1/3 के खातेदार एवं अप्रार्थी संख्या 8 रामकिशन पुत्र जंगली द्वारा इस बात की न्यायालय हाजा के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर स्वीकारोक्ति की है कि प्रार्थीगणों का रास्ता उनकी खातेदारी में से रहा है, एवं वर्तमान में भी यदि इस खातेदारी भूमि में से प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है, एवं इसके बदले रास्ते में काटे जाने वाली भूमि का मुआवजा खातेदार को प्रदान किया जाता है, तो रास्ता काटने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । यह जवाब अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा न्यायालय में दिनांक 11.1.2023 को अर्थात् आज से लगभग 2 वर्ष 4 माह पूर्व पेश किया जा चुका है, इस जवाब के उपरांत अन्य अप्रार्थीगणों द्वारा जवाब व आपत्तियों को पेश किया है, किंतु किसी भी जवाब/प्रार्थना पत्र/आपत्ति में, अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व 6 के द्वारा, इस जवाब पर कोई उंगली नहीं उठाई है, लिहाजा यह जवाब अप्रार्थी सं. 8 गौर करने व विचार करने योग्य है, यद्यपि उक्त दोनों खसरा नंबरों 10146/1019 एवं 10149/1020 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 हैक्टयर भूमि में से रास्ता नहीं चाहा गया है किंतु ये दोनों खसरा नंबर प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की खातेदारी के मध्य स्थित हैं ।

उक्त प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व 6 का पक्ष कमजोर पाते हैं एवं उनके द्वारा जो भी दस्तावेजात पेश किये एवं बहस की गई, उनके मुताबिक यह किसी भी बिन्दु पर सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता, बेजा परेशान करने की नियत से चाहा है अथवा प्रार्थीगणों के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद हैं । अप्रार्थीगण यह सिद्ध करने में भी असफल रहे हैं कि प्रार्थीगणों को वांछित रास्ते की अपनी जोत तक जाने में कोई आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है । यह सिद्ध करने में भी अप्रार्थीगण असफल रहे हैं कि प्रार्थीगण के जोत तक पहुँचने के आवागमन के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद है ।

ऐसी दशा में अप्रार्थीगण 1 से 4 एवं 6 द्वारा जो आपत्ति तहसीलदार बसवा की जांच रिपोर्ट दिनांक 7.2.2024 के विरूद्ध पेश की है, उस आपत्ति प्रा.पत्र को काबिले खारिज होने से, उसे खारिज किया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन से जाहिर है कि प्राथीगणं को उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1091, 1092 ग्राम भोपा की ढाणी में आने जाने के लिये सबसे छोटा व सुगम रास्ता केवल खसरा नंबर 10147/1019, 10148/1020, 1021 ग्राम भोपा की ढाणी ही एकमात्र उपयुक्त व विधिसम्मत रास्ता प्रतीत होता है । इस तरह प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

—: आदेश :—

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों परिप्रेक्ष्य में ग्राम भोपा की ढाणी तहसील बसवा जिला–दौसा में स्थित खसरा नंबर 10147/1019, 10148/1020 व 1021 में तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तावित रास्ता, जो की 12 फीट चौड़ा होगा, उसे [illegible] राजकीय भूमि में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं । उक्त रास्ता ग्राम भोपा की ढाणी तहसील बसवा जिला–दौसा स्थित खाता संख्या 73 के खसरा नंबर 1021 कुल रकबा 0.68 हैक्टयर में से 304 वर्ग मीटर भूमि, खसरा नंबर 10147/1019 कुल रकबा 0.16 हैक्टयर में से 144 वर्ग मीटर भूमि, खसरा नंबर 10148/1020 कुल रकबा 0.17 हैक्टयर में से 192 वर्ग मीटर भूमि, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:37:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

कि जमाबंदी अनुसार खातेदारान उगन्तीदेवी पत्नी स्व.जीत्या हि.1/18, चिरंजी पुत्र लालाराम हिस्सा 1/3, जयचंद पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/9, नारायण लाल पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/9, लक्ष्मीनारायण पुत्र जीत्या हिस्सा 5/18 एवं हुकमचंद पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/9 समस्त जाति मीना निवासी जूनवाल की खातेदारी में निहित है , एवं ग्राम भोपा की ढाणी तहसील बसवा जिला–दौसा स्थित खाता संख्या 330 के खसरा नंबर 1091 कुल रकबा 0.26 हैक्टयर भूमि जो स्वयं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 10 लगायत 27 की इस प्रकार खातेदारी में निहित है, अतः तहसीलदार बसवा की रिपोर्ट में अंकित खसरा नंबर 1091 में से रास्ता देने का प्रस्ताव खारिज किया जाता है, मौका पर्चा ग्राम भोपा की ढाणी दिनांक 7.2.2023 में प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा प्रदर्शित है (खसरा नंबर 1091 को छोडकर), में लाल स्याही से डोटेड रास्ता है, इस 12 फीट चौडा प्रस्तावित रास्ता को अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार की खातेदारी भूमि में से कम कर गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 के अनुसार बतौर क्षतिपूर्ति कृषि भूमि जो की, जमाबंदी में दर्ज है, की प्रचलित डी.एल. सी. दर की दो गुनी दर से 768 वर्ग मीटर भूमि की कीमत / राशि अप्रार्थीगण प्रभावित वर्णित खातेदारों को प्रार्थीगण के द्वारा भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही प्रस्तावित भूमि वास्ते गै.मु.रास्ता के प्रस्तावित भूमि में यदि खडे पेड, फसलो की संरचना की कोई भी हानि या नुकसान होता है, की वास्तविक राशि भी प्रार्थीगण से वसूल कर अप्रार्थीगण को उनके हिस्सानुसार प्रदान की जावेगी, राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के, जरिये तहसीलदार बसवा के, किया जावे । यदि अप्रार्थीगणों की खातेदारी में बदलाव अथवा हिस्सा में बदलाव हुआ हो, तो अप्रार्थीगणों को वर्तमान हिस्सानुसार/नवीन खातेदार को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जावे । तहसीलदार बसवा नियमानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करें । अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के उक्त रास्ते में आने जाने में किसी तरह की बाधा/मजाहमत/तनाजा उत्पन्न नहीं करें । पालना हेतु तहसीलदार बसवा को तहरीर जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय खुले ~~न्यायालय~~ में सुनाया गया ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बसवा
बसवा (दौसा)
जिला–दौसा

(मोहर: जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट)

निर्णय में संशोधन !–

03/06/24 पत्रावली तहसीलदार बसवा से प्राप्त पत्र क्रमांक भू.अ./संख्या/2024/1996 दिनांक 3-6-2024 के क्रम में पुन: न्यायालय पटल पर ली गई। तहसीलदार बसवा ने उक्त पत्र में अंकित किया है कि उक्त प्रकरण नरसी/जयचंद में दिनांक 22-5-2024 को जारी निर्णय में कुल भूमि 768 वर्ग मी. अंकित करती है, जबकि निर्णय में ग्राम-भोपा की ढाणी के ख० न० 1091 रकबा 0.26 हे० में से 128 वर्ग मी. भूमि को विलोपित कर दिया है अत: अंतिम निर्णय में कुल भूमि 768 वर्ग मी० में से 128 वर्ग मी. भूमि कम करते हुए मात्र 640 वर्ग मी० भूमि अंकित की जावे।

उल्लेख प्रा० पत्र मय पत्रावली [illegible] अनुसार ग्राम भोपा की ढाणी के ख० न० 1021 की 304 वर्ग मी० ख.नं. 10148/1020 रकबा 192 [illegible] 147/1019 रकबा 144 वर्ग मी० भूमि का कुल क्षे० 640 वर्गमीटर बनता है, जो कि [illegible] । उपरोक्त प्रकार में TDR बसवा से प्राप्त पत्र स्वीकार किया जाता है एवं निर्णय [illegible] अंतिम पृष्ठ पर सहवन से अंकित 768 वर्ग मी० भूमि को संशोधित करते हुए 768 वर्ग मी [illegible] 640 वर्ग मीटर भूमि किया जाता है। अत: इस प्रकार वर्णित भूमि 768 वर्गमीटर के स्थान पर 640 वर्गमीटर भूमि अंतिम निर्णय दिनांक 22-5-24 पढ़ा जावे। पत्रावली पूर्वानुसार दाखिल दफ्तर हो। शेष निर्णय यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:07:01 IST
Reason: SelfAttested